न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 63/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2016/00001)

1.	रोहिताश	पिसरान् रामप्यारी पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन रतनपुरा डाबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2.	शंकर	

अपीलान्ट्स

बनाम

1.	राजेन्द्र	पिसरान् टीकुराम जाति जाट साकिन रतनपुरा डाबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2.	किरसना	
3.	जगदीश	

4. ग्राम पंचायत डाबड़ी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डाबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

5.	सुनीता	पिसरान् रामप्यारी पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन रतनपुरा डाबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6.	विमला	
7.	सुगना	
8.	सरोज	
9.	कमला	

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 22.05.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमागढ अपील सं. 11/12 के निर्णय दिनांक 16.11.2015 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट रामप्यारी ने ग्राम पंचायत रतनपुरा डाबड़ी द्वारा तस्दीक किये गये इन्तकाल सं. 343 दिनांक 21.05.2012 के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी भादरा मे अपील पेश कर उक्त इन्तकाल को अपास्त फरमाने का निवेदन किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी भादरा, द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.11.2015 द्वारा अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट रोहिताश वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा के आदेश दिनांक 16.11.2015 एवं ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 21.05.2012 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के निमित साधारण सम्मन/ रजिस्ट्र्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि रोही मौजा डाबड़ी में टिकु वल्द मामराज की अन्य सह काश्तकारो की तन्हा खाता की खसरा नं. 22, 73, 81 ,114, 125, 130 की कुल 6 खसरो की आराजी 22.8130 हैक्टयर आराजी में 11.407 हैक्टयर खातेदारी आराजी थी, उक्त राजस्व रिकार्ड में तन्हा खाता दर्ज है लेकिन टीकुराम वल्द मामराज व अन्य काश्तकारो ने अच्छी–न्याऊ के हिसाब से बंटवारा किया गया था, टीकुराम रामप्यारी के साथ रहता था और रामप्यारी ही टीकुराम की सेवा चाकरी करती थी, जिससे खुश होकर टीकुराम ने अपने होश हवास में व राजीखुशी से अपीलान्ट के पक्ष में अपने हक व हिस्से में आई आराजी की वसीयत दिनांक 15.06.2009 बरोबरू गवाहान करवाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाई थी, उक्त भूमि पर आज भी अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। टीकुराम वल्द मामराज की दिनांक 03.10.2010 को मृत्यु हो चुकी है उसकी मृत्यु के बाद रामप्यारी ने वसीयत के अनुसार इन्तकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बहुत ही होशियार व चालक व्यक्ति है उन्होने साज–बाज कर उक्त आराजी का ग्राम पंचायत रतनपुरा डाबड़ी से इन्तकाल सं. 343 दिनांक 21.05.2012 को जगदीश, किरसना, व राजेन्द्र के नाम से तस्दीक करवा लिया। नामान्तरण दर्ज करते समय ग्राम पंचायत व हल्का पटवारी ने रामप्यारी व उसके पति जगदीश को कोई नोटिस व सूचना नही दी, एक तरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के कहे अनुसार नामान्तरण दर्ज कर दिया । उक्त भूमि बाबत संक्षम न्यायालय में दावा घोषणात्मक सन् 2011 से जैरकार था एवं इसमें वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषित करने हेतु माग की गई थी फिर भी इसकी अनदेखी कर ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो निरस्त योग्य है। प्रथम अपील न्यायालय ने अपील

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बिना आधार के तथ्यो के विपरीत जाकर खारिज कर दी एवं यह अंकित किया कि वसीयत रजिस्टर्ड नही है। जबकि कानून स्पष्ट है कि वसीयत का रजिस्टर्ड होना जरूरी नही है तथा प्लेन पेपर पर दो गवाहो के समक्ष ही जा सकती है। इस पर राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय भी है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी अंकित किया कि भूमि स्वय अर्जित साबित नही होती है जो गलत है क्योकि टीकुराम की खुद की भूमि थी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 16.11.2015 एव ग्राम पंचायत डाबड़ी का आदेश दिनांक 21.05.2015 निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार भादरा को रिमाण्ड कर वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का निर्देश प्रदान करे । अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2006 पेज 190, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। उपलब्ध दस्तावेजात व तथ्यो के अनुसार टीकूराम पुत्र मामराज द्वारा दिनांक 15.06.2009 को ग्राम रतनपुरा के खाता सं. 10/11 में अपने हिस्से की भूमि की वसीयत पुत्रवधु रामप्यारी पत्नी जगदीश के नाम कर दी गई। टीकूराम दिनांक 03.10.2010 को फौत होना प्रतिवेदित है। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा के न्यायालय मे प्रस्तुत दावा संख्या 189/15 की ओडर शीट दिनांक 23.06.2015 अनुसार तहसीलदार भादरा वसीयत की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही करे। उपखण्ड अधिकारी भादरा के न्यायालय मे प्रस्तुत नामान्तरकरण अपील संख्या 11/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 16.11.2015 में पाये गए विवेचन अनुसार अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकण नही खोला जा सकता व अपील अपीलान्ट खारिज कर दी गई। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा व उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा उक्तानुसार पारित निर्णयो में विरोधाभाष है। वसीयत चाहे रजिस्टर्ड हो अथवा अनरजिस्टर्ड, इसकी वैधता परखने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है तथा सरसरी जांच करने का दायित्व संबधित तहसीलदार का है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वसीयत पर तहसीलदार का निर्णय/विवेचन पत्रावली पर नही पाया गया है। तहसीलदार द्वारा वसीयत की सरसरी जांच करना व नियमानुसर निर्णित करना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा है। उक्त तथ्यो व विवेचन के मध्यनजर उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2015 विधिसम्मत नही कहा जा सकता है। लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.11.2015 व ग्राम पंचायत रतनपुरा डाबडी आदेश दिनांक 21.05.2012 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में हितबद्व लोगो की विधिवत सुनवाई कर नियमानुसार वसीयत को निर्णित करे तत्पश्चात ही राजस्व रिकार्ड में आवश्यक इन्द्राजात किए जावे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर